

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सुन्दर लाल माली निवासी गंगापूर जिला भीलवाड़ा (राज०) बनारस लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापूर जिला भीलवाड़ा प्रकरण संख्या :- 62 / 2023 जीसीएमएस नं. :- (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.02.2024	<p style="text-align: center;">-: निर्णय :-</p> <ol style="list-style-type: none"> पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित । अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 27.09.2023 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापूर जिला भीलवाड़ा से चाही गई थी, परन्तु रेस्पोंडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोंडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापूर जिला भीलवाड़ा ने जरिये पत्रांक/विविध/आरटीआई/2023/916 दिनांक 26.12.2024 से इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वांछित सूचना अधिनियम की धारा 6(1) में उपलब्ध प्रावधानों के तहत सूचना की परिभाषा में नहीं होकर सृजनात्मक/प्रश्नात्मक श्रेणी की है जिससे सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नहीं है। उक्त जवाब कार्यालय पत्रांक/एन.एच.-758/सू.अ./2023/72 दिनांक 25.10.2023 से प्रार्थी को प्रेषित कर दिया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापूर जिला भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना/जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि रेस्पोंडेंट द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है तथा वह रेस्पोंडेंट के जवाब से संतुष्ट है। अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 14.02.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ़्तर हो। 	

(नमित मेहता)
प्रथम अपीलार्थी अधिकारी
लोक सूचना एवं **जिरा कंसल्टर** भीलवाड़ा
भीलवाड़ा